



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57122

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 10164 वर्ष 2026

भारतवीर सरोहा उर्फ विक्की एवं 3 अन्य

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: अनुपमा त्रिपाठी, राकेश कुमार त्रिपाठी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: परितोष शुक्ला, आवेश मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 73

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. बीएनएसएस की धारा 528 के तहत यह आवेदन आवेदकगण द्वारा विद्वान अपर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 01, बिजनौर द्वारा पारित समन आदेश दिनांक 24.04.2025 के साथ-साथ परिवाद संख्या 516 वर्ष 2024 (राकेश कुमार बनाम भारतवीर सरोहा उर्फ विक्की), धारा 498-क, 324, 504, 506 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना नहतौर, जिला बिजनौर, जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम, बिजनौर की अदालत में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। विपक्षी संख्या 2 पीड़िता के पिता हैं और पीड़िता का विवाह आवेदक संख्या 1 के साथ 17.02.2023 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है कि उसके बाद आवेदकगण लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग करते रहे और उक्त मांग पूरी न होने पर पीड़िता को शारीरिक और मानसिक क्रूरता का शिकार बनाया गया। यह भी आरोप है कि पीड़िता गर्भवती थी और कथित दुर्व्यवहार तथा क्रूरता के कारण उसे रक्तस्राव हुआ और उसकी जान बचाने के लिए उसके गर्भ को समाप्त करना पड़ा। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि प्राथमिकी केवल आवेदकगण को परेशान करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज की गई है। विवेचना अधिकारी ने साक्ष्य एकत्र करने के बाद अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उक्त अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध विपक्षी संख्या 2 द्वारा एक विरोध याचिका दायर की गई थी, जिसे मजिस्ट्रेट ने बयान दर्ज करने के बाद स्वीकार कर लिया। यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता, परिवादी और अन्य गवाहों के बयान अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं करते हैं, और इसकी पुष्टि किसी भी चिकित्सीय साक्ष्य से नहीं होती है। अतः यह तर्क दिया गया है कि संपूर्ण कार्यवाही रद्द किए जाने योग्य है क्योंकि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का कड़ा विरोध किया और प्रस्तुत किया कि गवाहों के बयान और चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के कथानक का समर्थन कर रहे हैं। यह झूठा फंसाने का मामला नहीं है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने आवेदक को सही रूप से समन किया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क मामले के तथ्यात्मक पहलू हैं, जिन पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है।

5. सर्वोच्च न्यायालय ने मोहम्मद अलाउद्दीन खान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2019) 6 एससीसी 107 के मामले में पैरा संख्या 14 में निम्नानुसार माना है:-

"14. हमारी राय में, उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "सीआर.पी.सी.") की धारा 482 के तहत कार्यवाही के साक्ष्यों का मूल्यांकन करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि गवाहों के बयानों में विरोधाभास और/या विसंगतियां हैं या नहीं, यह अनिवार्य रूप से साक्ष्यों के मूल्यांकन से संबंधित मुद्दा है और विचारण के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी जांच की जा सकती है जब पक्षों द्वारा संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। इस मामले में वह चरण आना अभी शेष है।"

6. सर्वोच्च न्यायालय ने प्रीति सराफ एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य एवं अन्य में माना है कि:

"धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, परिवाद/प्राथमिकी/आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों के आधार पर परिवाद की संपूर्णता में जांच की जानी चाहिए। उस स्तर पर उच्च न्यायालय मामले की गहराई में जाने या उसकी शुद्धता की जांच करने के लिए बाध्य नहीं है। परिवाद/प्राथमिकी/आरोप पत्र से जो कुछ भी दिखाई देता है, उस पर बिना किसी आलोचनात्मक परीक्षण के विचार किया जाना चाहिए। अपराध प्रथम दृष्टया परिवाद/प्राथमिकी/आरोप पत्र और अभिलेख पर मौजूद अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों पर दिखाई देना चाहिए। इस प्रकार यह स्थापित है कि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग एक असाधारण शक्ति है जिसका प्रयोग अभियोजन को उसके प्रारंभ में ही रोकने के लिए यह तय करने में कि क्या मामला दुर्लभतम से दुर्लभ मामला है, परिवाद/प्राथमिकी/आरोप पत्र की सूक्ष्म जांच करने से पहले बड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। परिवाद में लगाए गए आरोप अन्यथा सही हैं या नहीं, इसका निर्णय विचारण के दौरान पेश किए जाने वाले साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। केवल इसलिए कि संविदा के उल्लंघन के लिए कोई उपचार प्रदान किया गया है या अपीलकर्ता के अनुरोध पर मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की गई है, वह अपने आप में न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य नहीं करता है कि सिविल उपचार ही एकमात्र उपचार है, और आपराधिक कार्यवाही शुरू करना, किसी भी तरह से, ऐसी कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने हेतु न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।"

6. अभिलेख पर मौजूद सामग्री के परिशीलन और मामले के तथ्यों को देखते हुए इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदकगण के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। अदालत में दी गई सभी दलीलें तथ्य के विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं, जिनका निर्णय इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है।

7. उपरोक्त के आलोक में, आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866, मणिक बी. बनाम कदापला श्रेयस रेड्डी एवं अन्य 2023 लाइव लॉ (एस.सी.) 642, हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 एस.सी.सी. (आपराधिक) 426, बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 एस.सी.सी. (आपराधिक) 192 और अंततः जन्डू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद सराफुल हक एवं

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अन्य (पैरा-10) 2005 एस.सी.सी. (आपराधिक) 283 के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के प्रकाश में, उपरोक्त मामले की कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है, जो धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग में किसी हस्तक्षेप की मांग करता हो क्योंकि इसमें कोई अवैधता या त्रुटि नहीं है।

8. बीएनएसएस की धारा 528 के तहत वर्तमान आवेदन में कोई मेरिट नहीं है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)

18 मार्च, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"